U6AA 414875

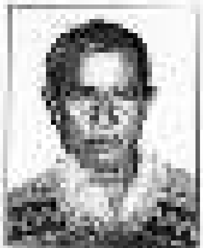

<u>लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण</u>

1.	प्रतिफल की धनराशि	:	रु0 3,00,664/–
2.	मालियत	:	रु0 1,53,230/–
3.	स्टाम्प	:	रु0 31,000/–
4.	भूमि का प्रकार	:	कृषि
5.	परगना	:	बिजनौर
6.	ग्राम	:	युसुफनगर उर्फ बनियानक
7.	सम्पत्ति का विवरण [सम्पत्ति नं0]	:	भूमि खसरा संख्या–378

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पांच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 287719

8.	मापन की इकाई	:	हेक्टेअर
9.	विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल	:	0.1398 हेक्टेअर
10.	सम्पत्ति का प्रकार	:	कृषि
11.	पेड़ों का मूल्यांकन	:	नहीं
9.	बोरिंग / कुआं / अन्य	:	नहीं

चौहद्दी

खसरा नं0 376

पूरब	: खसरा संख्या–374
पश्चिम	: खसरा संख्या–377
उत्तर	: खसरा संख्या–375
दक्षिण	: खसरा संख्या–379, 380

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

प्रथम पक्ष की संख्या–01   द्वितीय पक्ष की संख्या–01

विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
चौहान पुत्र औतार निवासी–ग्राम यूसुफनगर उर्फ बगियामऊ परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ व्यवसाय – कृषि	:	अर्जुन पुत्र लखपत निवासी–मिर्जापुर, गिदावी, पोस्ट–कठगांव, जिला–फतेहपुर, उ०प्र० व्यवसाय – कृषि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 287794

<u>विक्रय विलेख</u>

यह विक्रय विलेख चौहान पुत्र ओंकार निवासी–ग्राम युसुफनगर उर्फ बनियाखेड़ा परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हे आगे विक्रेता कहा गया है, एवम अर्जुन पुत्र लखपत निवासी–मिर्जापुर, मिटारी, पोस्ट–नवगांव, जिला फतेहपुर, उ0प्र0 जिन्हे आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

यह कि विक्रेता भूमि खसरा संख्या–378 रकबा 0.418 हेक्टेयर का 1/3 भाग यानि रकबा 0.1393 हेक्टेयर, स्थित–ग्राम– यूसुफ नगर बनियाखेड़ा, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ की मालिक, काबिल व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित प्रमाणित खाता खतौनी खाता संख्या 00020 के अनुसार उक्त भूमि विक्रेता के नाम का अंकन उक्त राजस्व अभिलेखों में हो भी गया है, उक्त भूमि विक्रेता को विरासत में मिली है विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने पूरे होशो

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

ध्यान में बिना किसी जोर जबरदस्ती या दबाव के, क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, काबिज व काबिल है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेता यह घोषित करती है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी

कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्की इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय सम्पन्न करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सामग्री के फलस्वरूप रू0 3,09,664/– (रुपया तीन लाख नौ हजार छः सौ चौसठ मात्र) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करता है, तदनुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता अर्जुन पुत्र जयचन्द निवासी–मिर्जापुर, पिहारी, पोस्ट–नवगांव, जिला–फतेहपुर, उ0प्र0 के हक उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को बढ़ाई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग

करेंगे। विक्रेता उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जावे तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम पुरुष नगर उर्फ बनियापार अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सर्किल रेट रु0 11,00,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.1303 हेक्टेयर की मालियत रु0

1,53,230/— होता है, चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 31,000/— जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि मे कोई पेड़, कुआं, तालाब, व निर्माण आदि नही है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास मे कोई निर्माण नही है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नही है। विक्रीत भूमि शहीद पथ से लगभग एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य है। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय विलेख विक्रेता ने क्रेता के पक्ष मे लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवें।

परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण

भूमि खसरा संख्या–378 रकबा 0.418 हैक्टेअर का 1/3 भाग यानि रकबा 0.1393 हैक्टेअर, स्थित–ग्राम– यूसुफ नगर बगियामऊ, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ

रा० क० [illegible]   रा० क० [illegible]

विक्रय पत्र

[illegible]	[illegible]	5,000.00	40	[illegible]	2/00
		फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	[illegible]

श्री / श्रीमती [illegible]

पुत्र / पत्नी श्री [illegible]

पेशा कृषि

निवासी स्थायी [illegible]

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 11/12/2006 समय [illegible]

बजे निबंधन हेतु पेश किया।

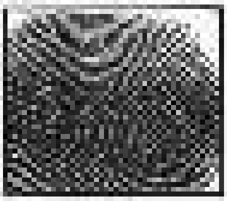

के.के. शुक्ला

उप निबंधक (प्रथम)

लखनऊ

11/12/2006

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु. [illegible]

विक्रेता

श्री/श्रीमती [illegible]

पुत्र/पत्नी श्री [illegible]

पेशा कृषि

निवासी [illegible]

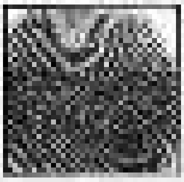

क्रेता

श्री/श्रीमती [illegible]

पुत्र/पत्नी श्री [illegible]

पेशा कृषि

निवासी [illegible]

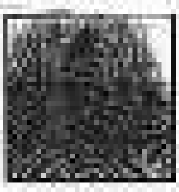

ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री [illegible] तिवारी

पुत्र श्री [illegible] तिवारी

पेशा [illegible]

निवासी [illegible]

व श्री [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

पेशा कृषि

निवासी [illegible]

ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।

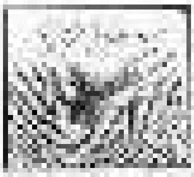

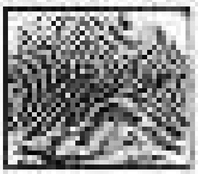

के.के. शुक्ला

उप निबंधक (प्रथम)

लखनऊ

11/12/2006

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

1. विक्रेता ने रू0 3,09,664/- (रूपया तीन लाख नौ हजार छः सौ चौसठ मात्र) द्वारा चेक संख्या 397285 दिनांकित 11.12.2006 पंजाब नेशनल बैंक, शाखा हजरतगंज, लखनऊ, क्रेता से प्राप्त किये।

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रू0 3,09,664/- (रूपया तीन लाख नौ हजार छः सौ चौसठ मात्र) विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त किये तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेतागण स्वीकार करते हैं।

लखनऊ
दिनांक 11.12.2006

गवाह

1.

2.

विक्रेता

क्रेता

टाईपकर्ता

(राम सनेही)
सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता

(सैय्यद अन्जार हुसैन)
एडवोकेट

[illegible]

Registration No 18551 Year: 2020 Book No. 1

0101 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु

फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता का नाम व पता:- [illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

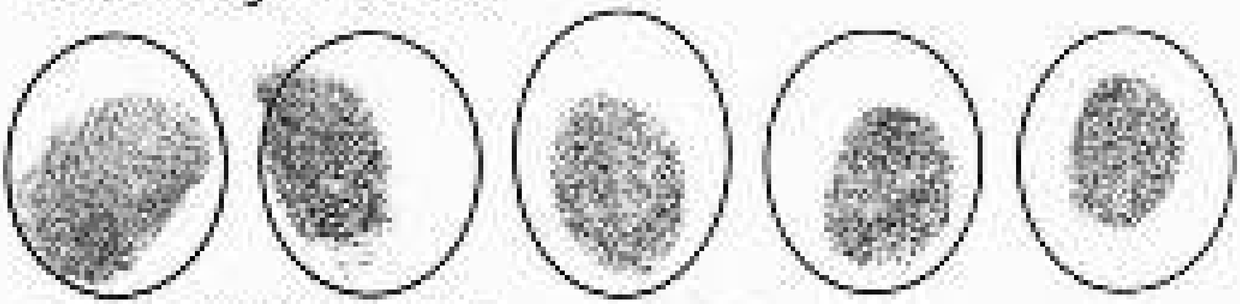

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

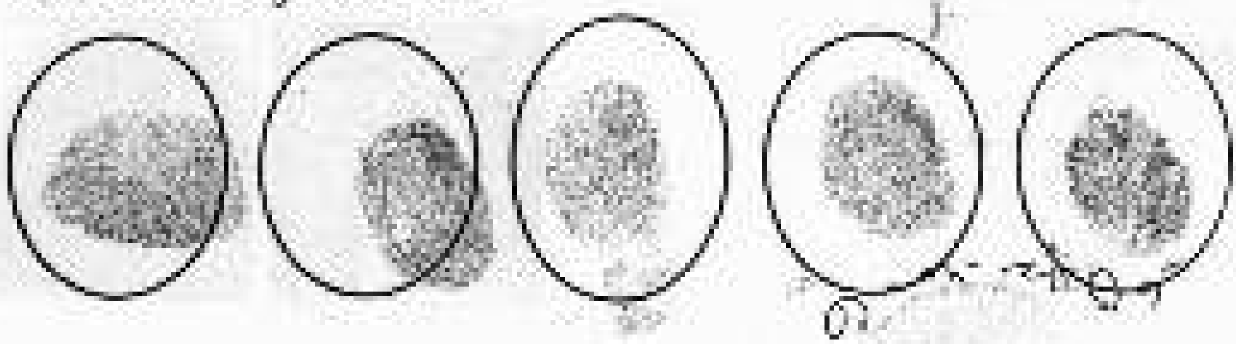

[illegible]

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता / क्रेता का नाम व पता:- [illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

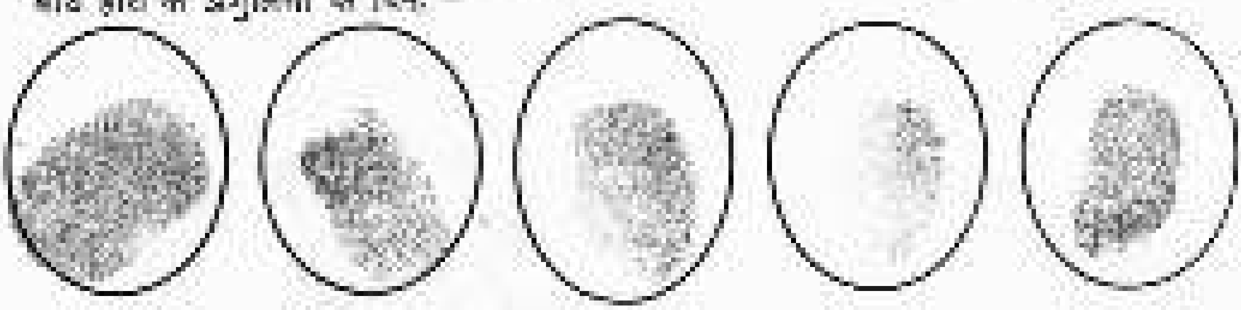

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

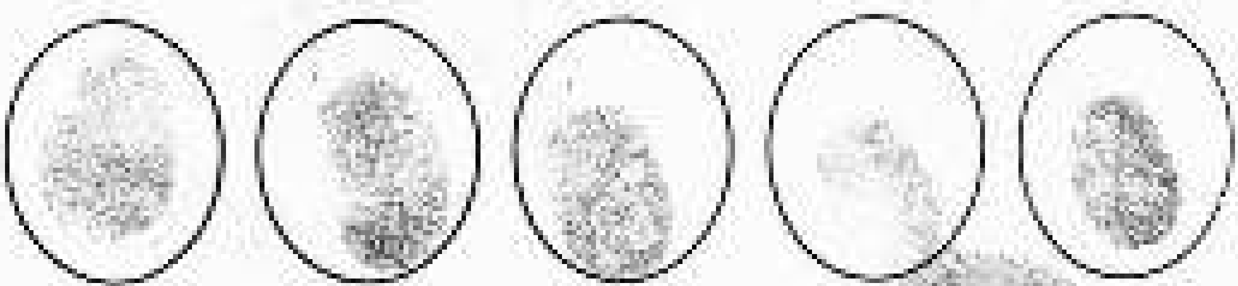

[illegible]

विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

रोखा

Registration No. 10031 Year 2008 Book No. 1

0031 अर्जुन
लसनत
Pratap Nagar [illegible]
पुरुष

नक्शा नजरी

ग्राम : [illegible]

खसरा संख्या : ३५४

विक्रेता : श्रीराम पुत्र [illegible]

क्रेता : अर्जुन पुत्र [illegible]

विक्रीत सम्पत्ति के निकट स्थित समस्त सम्पत्तियों का विवरण

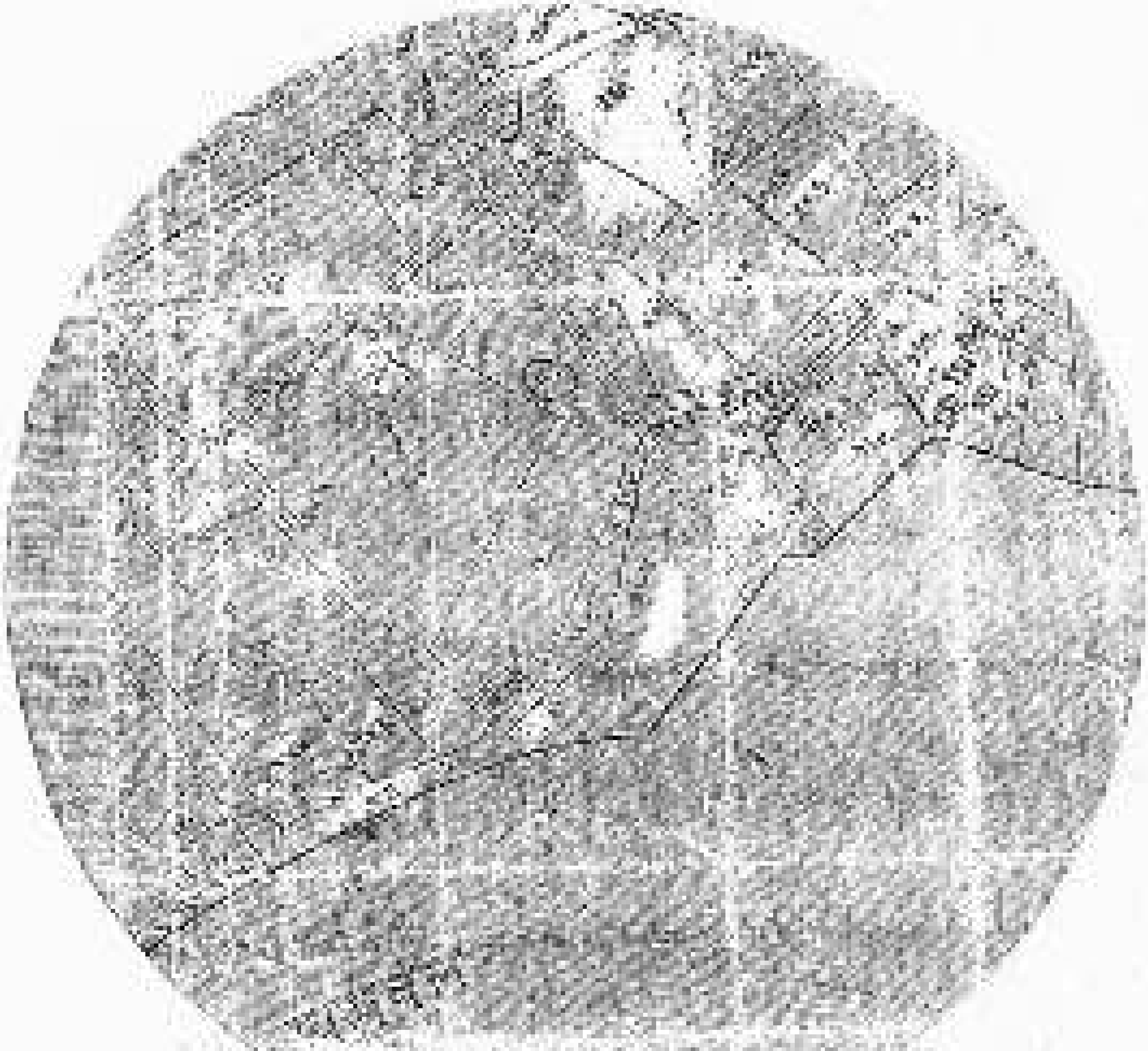

[illegible]

विक्रेता

[illegible]

क्रेता

आज दिनांक **11/12/2006** को

बही सं **1** जिल्द सं **7977**

पृष्ठ सं **131** से **154** पर क्रमांक **10551**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

के.के शुक्ला

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

11/12/2006